

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- ~~वि. नं. ३१८/२०१७~~

मुकदमा संख्या:- ३१८/२०१७

१- ~~वा. वि. सं. २१२~~ वि. सं. संयुक्त वि. सं. आराजि

२- ~~वा. वि. सं. २१२~~ वि. सं. संयुक्त वि. सं. आराजि

---प्रार्थीगण

१- ~~वा. वि. सं. २१२~~ वि. सं. संयुक्त वि. सं. आराजि

२- ~~वा. वि. सं. २१२~~ वि. सं. संयुक्त वि. सं. आराजि

३- ~~वा. वि. सं. २१२~~ वि. सं. संयुक्त वि. सं. आराजि

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजसव अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 11/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजसव अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ~~आराजि~~ पटवार हल्का ~~आराजि~~ तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर ~~854~~ ~~854~~ कुल किता ~~2~~ रकबा ~~0.7~~ बीघा ~~10.99~~ विस्वा स्थित हैं। वादस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~20.11.17~~ को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में नी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया र ग्राम ~~आराजि~~ पटवार हल्का ~~आराजि~~ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर ~~854~~ ~~854~~ कुल किता रकबा ~~0.7~~ बीघा ~~10.99~~ विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु गद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~...~~ को ~~800~~ रुपये (अक्षर:- ~~3118 र/1~~) रनर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। रनर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो गद्दी नहीं की जावें।

~~...~~  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

नपि:- तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

0  
K.B.H.L  
11-5-18